# बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

## अधिसूचना

संचिका संख्या :–15/औ०–01–05/2026 –............./स्वा० पटना, दिनांक –

असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक–1336, दिनांक–03.09.2025 तथा पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक–1481/अप०शा०, दिनांक–12.09.2025 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बिहार औषधि नियंत्रण सेवा संवर्ग के अंतर्गत अरवल जिला में पदस्थापित/कार्यरत औषधि निरीक्षक, अरवल–01 एवं 02, श्री शैलेन्द्र नारायण को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना की टीम द्वारा दिनांक 03.09.2025 को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–9(2)(क) में निहित प्रावधानों के तहत् विभागीय अधिसूचना सं०–1012(15ए), दिनांक–23.09.2025 द्वारा श्री नारायण को अभिरक्षा में जाने की तिथि(03.09.2025) से निलंबित किया गया।

2. जमानत पर कारावास से रिहा होने के उपरांत श्री नारायण द्वारा दिनांक–10.12.2025 के पूर्वाह्न में अपना योगदान स्वीकृति व निलंबन मुक्ति संबंधी आवेदन विभाग में समर्पित किया गया। तदालोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–9(3)(i) में निहित प्रावधानों के तहत् श्री नारायण का योगदान स्वीकार करते हुए विभाग में समर्पित आवेदन की तिथि (10.12.2025 के पूर्वाह्न) से निलंबन मुक्त किया गया एवं श्री नारायण के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की गंभीरता को दृष्टिपथ रखते हुए इन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या–48(15ए), दिनांक–21.01.2026 द्वारा पुनः निलंबित गया।

3. श्री नारायण के विरूद्ध उक्त प्रतिवेदित आरोपों की नियमानुसार प्रारंभिक जाँच हेतु विभागीय पत्रांक–193(15ए), दिनांक–11.03.2026 द्वारा उप औषधि नियंत्रक, मुख्यालय एवं प्रभारी सहायक औषधि नियंत्रक, अरवल को प्राधिकृत करते हुए जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया, परन्तु वांछित प्रतिवेदन अद्यतन अप्राप्त है। प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में श्री नारायण के विरूद्ध नियमानुसार आरोप पत्र गठित नहीं किया जा सका है। इस प्रकार श्री नारायण के निलंबन अवधि को नवीकृत/विस्तारित किया जाना समीचीन है। अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के

नियम–9(7) में अंकित प्रावधानों के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–48(15ए), दिनांक–21.01.2026 के क्रम में श्री नारायण के निलंबन अवधि को अगले चार माह तक के लिए नवीकृत/विस्तारित किया जाता है। निलबन अवधि के दौरान श्री नारायण अपने पूर्व निर्धारित मुख्यालय/कार्यालय में नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगें।

4. निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10 के आलोक में अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

5. विभागीय कार्यवाही के संचालन के संबंध में संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से,**

ह०/–

**(सुरेन्द्र राय)**

विशेष कार्य पदाधिकारी,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

**संचिका संख्या :15/औ०–01–05/2026 –449(15A)/स्वा० पटना, दिनांक – 25/05/2026**

**प्रतिलिपि :** माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि :** प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि :** महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि :** सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि :** राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि :** जिला पदाधिकारी, अरवल/गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि :** पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि :** क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि :** असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अरवल/ गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

c:\users\acer\desktop\drug\drug 1.docx

प्रतिलिपि : उप औषधि नियंत्रक, मुख्यालय/उप औषधि नियंत्रक, मगध प्रमंडल, गया/सहायक औषधि नियंत्रक, अरवल/गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री शैलेन्द्र नारायण, निलंबित औषधि निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

c:\users\acer\desktop\drug\drug 1.docx